

**\*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.06.2021 जनपद देवरिया\***

**\*क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा दहेज हत्या के तीन अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार\***

दिनांक 13.06.2021 को वादी हेमंत कुमार सिंह की तहरीर के आधार पर वादी की पुत्री चांदनी को ससुरालजनों द्वारा दहेज के लिए फासी से लटाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 328/21 धारा 498ए, 304बी, 316 भा0द0वि0 तथा 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. रुपेश राठौर पुत्र वीरेन्द्र राव (मृतिका का पति) 2. वीरेन्द्र राव पुत्र स्व0 रमाशंकर राव (मृतिका का ससुर) व 3. मीरा देवी पत्नी वीरेन्द्र राव (मृतिका की सास) निवासीगण बोडिया सुल्तान थाना कोतवाली जनपद देवरिया का अभियोग पंजीकृत है। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर श्रीयश त्रिपाठी द्वारा की जा रही है। उक्त के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना कोतवाली पुलिस को उक्त अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। जिसके अनुपालन के क्रम में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय पुलिस फोर्स क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 14.06.2021 को बैतालपुर के पास से उक्त अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्तगण 1. रुपेश राठौर पुत्र वीरेन्द्र राव (मृतिका का पति) 2. वीरेन्द्र राव पुत्र स्व0 रमाशंकर राव (मृतिका का ससुर) व 3. मीरा देवी पत्नी वीरेन्द्र राव (मृतिका की सास) उपरोक्त को कोतवाली पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-\***

1. रुपेश राठौर पुत्र वीरेन्द्र राव (मृतिका का पति) निवासी बोडिया सुल्तान थाना कोतवाली जनपद देवरिया
2. वीरेन्द्र राव पुत्र स्व0 रमाशंकर राव (मृतिका का ससुर) निवासी बोडिया सुल्तान थाना कोतवाली जनपद देवरिया
3. मीरा देवी पत्नी वीरेन्द्र राव (मृतिका की सास) निवासी बोडिया सुल्तान थाना कोतवाली जनपद देवरिया

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-\***

1. मु0अ0सं0 328/21 धारा 498ए, 304बी, 316 भा0द0वि0 तथा 3/4 डीपी एक्ट

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-\***

01. प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
02. हे0का0 केशव दूबे थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
03. का0 वर्मा प्रजापति थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
04. का0 संदीप गहलोत थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
05. म0का0 पिकी यादव थाना कोतवाली जनपद देवरिया।